यालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

ठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—131/2024

जगसीर सिंह पुत्र मेला सिंह जाति जटसिख साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. भादर सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. जगसीर सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. बागा सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री जगराज सिंह भारी	प्रार्थी
2.	श्री राजेन्द्र पटीर	अप्रार्थी संख्या 1 ता 3
3.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 4

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 22/01/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क रा.का.अधि के तहत प्रार्थी की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू—बी के खाता सं. 19/33 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 6, 11 ता 25 की 4.048 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी में प्रार्थी का 5/16 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 का 3/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू—बी के खाता सं. 22/13 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 1/2, 7 ता 10 की 1.138 हैक. कमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है । यह कि अप्रार्थी सं.3 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू—बी के खाता सं. 30/25 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 1/1, 2, 3, 4, 5/2 की कुल 1.126 हैक. कमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है । यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित सांझा खाता की कृषि भूमि में से चक [illegible] 343 (35) किला नं. 16 ता 20 की 1.265 हैक. कृषि भूमि पर प्रार्थी का शान्ति [illegible] काश्त है। इसी सयुक्त खाता में अप्रार्थी सं. 1 का किला नं. 6, [illegible] काश्त है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये चक 4 [illegible] के प.न. 44/343 (3[illegible] नं. 1, 10, 11 प्रत्येक में 0.013 0.013 हैक. बजानिब प[illegible] दिशा में उतर से दक्षि[illegible] रास्ता से होता हुआ अपनी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के किला नं. 20 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू—बी के प.न. 44/343 (35) किला नं. 11 में 0.013 हैक., अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 10 में 0.013 हैव., अप्रार्थी सं.3 की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 1 में 0.013 हैव. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। अप्रार्थी सं.1 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि के किला नं.11 में आने वाले रास्ता की कृषि भूमि की एवज में प्रार्थी की कृषि भूमि कम की जावे व अप्रार्थी सं. 2, 3 की कृषि भूमि में से उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता की एवज में प्रार्थी मुताबिक डीएलसी दर की दौगुना राशि अप्रार्थी सं. 2, 3 को देने के लिये तैयार है।

यह कि अप्रार्थी सं. 4 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 11 में 0.013 हैव., अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 10 में 0.013 हैव., अप्रार्थी सं.3 की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 1 में 0.013 हैव. रास्ता बंजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री राजेन्द्र पटीर अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल मिसल है दिनांक 09.09.2024 को अधिवक्ता उभय पक्ष हाजिर आये एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्वयम् हाजिर आये तहरीर शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं राजीनामा में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रथम पक्ष/प्रार्थी व द्वितीय पक्ष/अप्रार्थीगण का राजीनामा हो चुका है जो कि निम्न प्रकार से है –

यह कि प्रार्थी प्रथम पक्ष व अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 1 के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 19/33 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 6, 11 ता 25 की 4.048 हैव. कमांड अनकमांड खातेदारी में प्रार्थी का 5/16 हिस्सा, अप्रार्थी सं.1 का 3/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 22/13 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 1/2, 7 ता 10 की 1.138 हैव. कमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 3 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 30/25 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 1/1, 2, 3, 4, 5/2 की कुल 1.126 हैव. कमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित सांझा खाता की कृषि भूमि में से चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 16 ता 20 की 1.265 हैव. कृषि भूमि पर प्रार्थी प्रथम पक्ष का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है। इसी सयुक्त खाता में अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 1 का किला नं. 6, 11 ता 15 की 1.518 हैव. भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी प्रथम पक्ष अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये चक 4 एनएसडब्ल्यू–[illegible] 44/343 (35) किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक में 0.013 0. 013 हैव. [illegible] लम्बा रास्ता से होता हुआ अपनी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के किला [illegible] में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी प्रथम पक्ष अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी प्रथम पक्ष के पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी प्रथम पक्ष अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 1 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 11 में 0.013 हैव., अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 2 की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 10 में 0.013 हैव.,

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

र्थी द्वितीय पक्ष सं. 3 की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला 1 में 0.013 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। प्रार्थी प्रथम पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा। मिन अप्रार्थीगण ने रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में डीएलसी दर की दौगुना राशि प्रार्थी प्रथम पक्ष से प्राप्त कर ली है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रथम पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व इतराज नही होगा। राजीनामा उभय पक्ष को स्वीकार होने पर हस्ताक्षर करवाये गए एवं पहचान साबित होने पर राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक रीडर/2024/15 दिनांक 14.01.2025 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। संयुक्त खाते की भूमि के समस्त काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। संयुक्त खाते की भूमि में किला न. 5 में गैर मु. रास्ता मंजूरशुदा है जो मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन किया गया तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्ताकरी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

–आदेश–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया एवं हमारे स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगाा उक्त सयुंक्त खाता की भूमि के समस्त काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त रकबा में किला न. 5 में सयुक्त खाता की प्रश्नगत भूमि हेतु पूर्व में रास्ता स्वीकृत है इस लिए लघुत्तम विकल्प की उपलब्धता, आंत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर [illegible] हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 22/01/2[illegible] [illegible]या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:23 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा